सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 56/16 **निर्णय दिनांकः– 16.08.2019**

1. इरसाद पुत्र शेरूखॉ जाति मुसलमान निवासी चक 2 एसडीडब्ल्यूएम एल द्वितीय तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. किशनलाल पुत्र भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक शून्य
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–

1. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री चतुर्भज सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक शून्य जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटितशुदा भूमि का स्मालपेच आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 2 एसडीडब्ल्यूएमएल द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 28/1 के किला नम्बर 5, 6, 14 ता 18, 23, 25 तादादी 9 बीघा अनकमाण्ड भूमि का स्माल पेच आवंटन वर्ष 1988 में सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया था। तभी से उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि आराजी जैर पूर्व से ही अपीलांट को आवंटित भूमि थी तथा अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही थी ऐसीस्थिति में उक्त भूमि स्माल पेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के व बिना वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को जैर अपील अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी ना ही आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी की भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व में आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो

आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त यह भूमि खरीद से पूर्व उसके पूर्व काश्तकार शिवकरण को चक 2 एसडीडब्ल्यूएमएल द्वितीय में वर्ष 1976 में मुरब्बा नम्बर 28/1 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 10/2, 11/1, 12, 13, 19, 20/1, 21/2, 22, 24 की भूमि का आवंटन हुआ था तथा आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। जबकि अपीलांट का आवंटन वर्ष 1988 का है। अपीलांट को चक 28/1 के किला नम्बर 5, 6, 14 ता 18, 23, 24 की कुल 9 बीघा आवंटित भूमि अपीलांट की भूमि से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में अपीलांट स्माल पेच आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि उसी मुरब्बें में निहित होने के कारण वादग्रस्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की ही बनती है। अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए इस आवंटन को अपील में नहीं बताया गया है तथ सम्पूर्ण तथ्य रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूमि चक 2 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 28/1 का आवंटन अलग है तो अपीलांट को उक्त भूमि पर कोई अधिकार हासिल नहीं होते है।

उन्होनें आगे बताया कि जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि के आवंटन के समय वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज थी तथा कब्जा भी

पूर्व में शिवकरण का व वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त में है। अपीलांट को आवंटित भूमि लूणखॉ पंचायत में आती है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि सत्तासर की पंचायत की है। इसप्रकार अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए अपील पेश की गई है। जिसका कतई अधिकार अपीलांट को प्राप्त नहीं है। अपीलांट न तो प्रभावित पक्षकार है ना ही उसकी कोई भूमि इस आवंटन के जरिये प्रभावित हो रही है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व काश्तकार शिवकरण के नाम से वर्ष 1976 में चक 2 एसडीडब्ल्यूएमएल द्वितीय तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 28/1 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 10/2, 11/1, 12, 13, 19, 20/1, 21/2, 22, 24 की कुल 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि खरीद की गई तथा उसका नामान्तरणकरण प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इसी मुरब्बें के किला नम्बर 5, 6, 14 ता 18, 23, 25 की कुल 9 बीघा अनकमाण्ड भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06—04—2016 को उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे बताया गया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् कोई किश्त ही जमा करवाई गई है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर अपीलांट का कोई हक व हकूक साबित नहीं होता है ना ही उक्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। जबकि आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि इस चक में प्रथम आवंटन रेस्पोडेन्ट के पूर्ववर्ती काश्तकार है तथा उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का है।

अपीलांट का चक 2 एसडीडब्ल्यूएमएल द्वितीय छत्तरगढ़ से कोई सरोकार नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मुख्य कथन है कि अपीलांट ईरसाद को मूल आवंटन चक 2 एमडीडब्ल्यूएम में 18 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन था। उक्त मुरब्बा चक 2 एसडीडब्ल्यूएमएल द्वितीय से 30 किलोमीटर दूर होने के कारण स्मालपेच आवंटन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन अधिकारी की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार चक 2 एसडीडब्ल्यूएमएल द्वितीय के मुरब्बा नम्बर 8/57 में 6 बीघा कमाण्ड व 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 07—04—1986 को हुआ। तत्पश्चात् अपीलांट ने चक 2 एसडीडब्ल्यूएमएल द्वितीय के ही मुरब्बा नम्बर 28/1 की 9 बीघा स्मालपेच भूमि हेतु आवेदन दिनांक 25—02—1988 का पेश किया तो पटवारी ने उक्त 9 बीघा भूमि स्माल पेच आवंटन हेतु रकबाराज में उपलब्ध होने की रिपोर्ट पेश की तथा आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 07—04—1988 को उक्त रकबा स्माल पेच के रूप में आवंटित कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट ने उक्त आवंटन आदेश की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यही रकबा दिनांक 06—04—2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन होने पर तहसीलदार ने उक्त रकबा ईरसाद को आवंटित होना मानकर नामान्तरणकरण खारिज कर दिया।

रेस्पोडेन्ट किशनलाल द्वारा उक्त रकबा स्मालपेच के रूप में आवंटित करने हेतु दरखवाश्त पेश की तो पटवारी हल्का ने रकबा खाली तथा आराजीराज दर्ज होने की रिपोर्ट दिनांक 31–10–2013 को पेश की जो आवंटन अधिकारी के समक्ष दिनांक 23–12–2013 को पेश हुई। आवंटन अधिकारी ने आगामी 2 साल व 3 माह तक उक्त रिपोर्ट की सत्यता के बारे में कोई जॉच नहीं की तथा न ही उक्त मुरब्बें के पूर्व में हुए आवंटन के रिकार्ड की कोई जॉच की तथा अकस्मात् दिनांक 06–04–2016 को आवंटन आदेश किशनलाल के पक्ष में जारी कर दिया गया। इसप्रकार आवंटन अधिकारी ने पूर्व में आवंटित भूमि पर दोहरा आवंटन कर दिया। रेस्पोडेन्ट का कथन कि अपीलांट सन् 1988 में चिपती भूमि का खातेदार न होने के कारा स्मालपेच आवंटन का पात्र नहीं था संधारणीय नहीं है क्योंकि आवंटन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया था तथा उक्त आदेश को कभी भी अपास्त या परिवर्तित नहीं किया गया था। राजस्व कर्मियों द्वारा रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करने या अपील न करने मात्र से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश को निष्प्रभावी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश आवंटन अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पूर्व में आवंटित रकबे पर दोहरा आवंटन होने के कारण निरस्तनीय आदेश है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–04–2016 निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को पूर्व में किये गये आवंटन तथा कब्जे की जॉच करने के उपरान्त पूर्व आवंटन विधिसम्मत पाये जाने पर बकाया किश्तें जमा करावें अन्यथा पूर्व आदेश पर पुनर्विचार कर नये सिरे से आवंटन कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर